

NR 14  
29/1/20

25

भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways\*  
(रेलवे बोर्ड Railway Board)



सं. हिंदी 2018/रा.भा.- 1/15/1

दिनांक: 27.01.2020

महाप्रबंधक

सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन कारखाने.  
मेट्रो रेलवे, कोलकाता.  
केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद.  
रजिस्ट्रार, रेल दावा अधिकरण, दिल्ली.

महानिदेशक,

अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ.  
भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा.

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,

डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना,  
पटियाला

निदेशक,

इरिसेट, सिकंदराबाद.  
इरिऐन, नासिक रोड.  
इरिसेन, पुणे.  
इरिमि, जमालपुर.  
इरटिम, लखनऊ.  
ज.रा.रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ.

प्रबंध निदेशक,

रेल मंत्रालय के अधीनस्थ सभी  
उपक्रम.

विषय : वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को  
सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक वर्ष की अवधि समाप्त  
होने के बाद अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता।

संदर्भ : बोर्ड का दिनांक 02.01.2018 का पत्र सं. ई(पीएंडए)I-2017/एसपी-1/जनरल-5.

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड कार्यालय के संदर्भाधीन पत्र का अवलोकन करें जिसके  
अंतर्गत हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की  
स्वीकार्यता को शासित करने संबंधी शर्तों का उल्लेख किया गया है।

इस संबंध में बोर्ड द्वारा पुनः जारी दिनांक 08.11.2019 का पत्र सं.  
ई(पीएंडए)I-2017/एसपी-1/जनरल-5 सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि।

मु. रा. आ. वि.

रविनिदिनी  
(रविनिदिनी शर्मा) 27.1.2020

उप निदेशक, राजभाषा

114  
03/2/2020  
आ. प्र. म. म. म.  
रे. भा. म. म. म.  
8/2/20

DS/GM

उ. रा. वि. म. म. म.  
20/2/20

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

आरबीई सं. 130/2019

सं.ई(पी एण्ड ए)-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

महाप्रबंधक और प्रधान वित्तीय सलाहकार  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां.

**विषय:-** वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता।

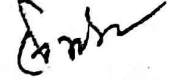
**संदर्भ:** बोर्ड का दिनांक 02.01.2018 का पत्र सं.ई(पी एण्ड ए)-2017/एसपी-1/जनरल-5

\*\*\*\*\*

वरिष्ठ वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासी ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासी ग्रेड अधिकारियों को सौंपे गए हिंदी कार्य के प्रशासनिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त कार्य भत्ते के भुगतान की स्वीकार्यता को शासित करने संबंधी शर्तों का बोर्ड के दिनांक 02.01.2018 के समसंख्यक आदेशों में उल्लेख किया गया है। बोर्ड कार्यालय में पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में एक वर्ष की अवधि के बाद उपयुक्त पात्र अधिकारी की अनुपलब्धता में उसी अधिकारी को जारी रखने और अतिरिक्त कार्य भत्ते की स्वीकार्यता के लिए निर्धारित शर्त के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि कोई कर्मचारी यह भत्ता अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त करेगा और उसी कर्मचारी को पुनः समान कार्यों के लिए तैनात किए जाने में कम-से-कम एक वर्ष का अंतराल होना चाहिए।

2. बोर्ड कार्यालय में इस मामले की वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के परामर्श से जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि अतिरिक्त कार्य भत्ता को शासित करने वाली शर्तों का रेलों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाना है। बहरहाल, यदि दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित करने के लिए समुचित अधिकारी उपलब्ध न हो तो मौजूदा पदधारी दूसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि उसी अधिकारी को तीसरे वर्ष भी राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है तो उन्हें तीसरे वर्ष से इस भत्ते का भुगतान किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि उसी अधिकारी को चौथे वर्ष के लिए भी हिंदी कार्य का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा जाता है तो वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे परन्तु इसके लिए उन्हें अतिरिक्त कार्य भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा, इसका भुगतान पांचवें वर्ष में किया जाएगा यदि उसी अधिकारी को राजभाषा अधिकारी/मुख्य राजभाषा अधिकारी/अपर राजभाषा अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।
4. कृपया पावती दें।



(एन. पी. सिंह)

संयुक्त निदेशक/ई (पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

सं.ई(पी एण्ड ए)-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेल), कमरा सं. 224 रेल भवन, नई दिल्ली (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित)

विकास ग्राहकीयता

कृते वित्त आयुक्त/रेल

सं.ई(पी एण्ड ए)-2017/एसपी-1/जनरल-5

नई दिल्ली, दिनांक 08.11.2019

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं.253, रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
2. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं.256-ई, रेल भवन नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
3. राष्ट्रीय परिषद/विभागीय परिषद के सभी सदस्य तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. महासचिव, फोआ कमरा नं.256-ए, रेल भवन नई दिल्ली
5. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 402, रेल भवन (05 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
7. महासचिव, इरपोफ, कमरा सं. 341-सी, रेलवे बोर्ड ।
8. अध्यक्ष, इंडियन रेलवे क्लास-II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी वर्ग एसोसिएशन ।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन ।
11. महासचिव, एआईआरपीएफ एसोसिएशन ।
12. महासचिव, अखिल भारतीय एससी/एसटी रेलवे कर्मचारी एसोसिएशन, कमरा नं. 8, भू-तल, रेल भवन, नई दिल्ली -110001
13. ऑल इंडिया ओबीसी रेलवे एम्पलाइज़ एसोसिएशन।
14. महासचिव, सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन (रजि.), 490ए/16, गुरुद्वारा रोड, गुरुग्राम।
15. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, 16, अशोक रोड, लखनऊ।



कृते सचिव, रेलवे बोर्ड

(प्राधिकार: वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) का दिनांक 25 जून 2019 का का.जा.सं.एफ-12-3/2016-ई-III(ए)